5वीं बैठक की कार्यवाही (01.06.2013)

दिनांक–01.06.2013 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु गठित 'राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति' की <u>पाँचवीं बैठक</u> की कार्यवाही :–

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की पाँचवीं बैठक में यह जानकारी दी गई कि मानव विकास से संबंधित सूचकांकों की पहचान कर सात समितियाँ विभिन्न विभागीय प्रधान सचिवों/सचिवों की अध्यक्षता में गठित की गई है। जिनके द्वारा मानव विकास का रोड मैप तैयार किया जाना है। दिनांक–06.04.2013 की चौथी बैठक में जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं कुपोषण विषयक समिति के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता विषयक समिति के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा पॉवर प्वाईन्ट प्रेजेन्टेशन दिया गया था। शेष समितियों के अध्यक्षों के द्वारा इस पाँचवी बैठक में अपने–अपने समिति से संबंधित विषयों के संबध में पावर प्वाईन्ट प्रेजेन्टेशन दिया गया, जो निम्नवत है :–

2. <u>शिक्षा विषयक समिति</u> :– 2.1 सर्वप्रथम शिक्षा विषयक समिति के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा विषयक समिति से संबंधित सूचकांकों के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया। उन्होंने महिला साक्षरता की दर में उल्लेखनीय वृद्धि की बात कही। यह उपलब्धि सरकार द्वारा चालू की गई नई योजनाओं जैसे पोशाक योजना एवं साईकिल योजना आदि के कारण परिलक्षित होता है। इसी प्रकार कुल साक्षरता दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2.2 बिहार के सभी विद्यालयों में साफ पेयजल एवं शौचालयों की उपलब्धता की दरों में और वृद्धि करने की आवश्यकता है। विद्यालयों में किचेन शेड के संबध में माननीय मुख्यमंत्री ने किचेन [illegible] पर जोर देने का निदेश दिया।

2.3 विद्यालय में नामांकन नहीं कराने वाली लड़कियों के दर में भी कमी आई है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति में भी वृद्धि परिलक्षित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की उपस्थिति में वृद्धि किये जाने की दिशा में प्रयास करने पर जोर दिया तथा यह भी निदेश दिया कि अयोग्य शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई की जाए।

2.4 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि वर्ष 2021 के बदले वर्ष 2017 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाए। इसी तरह अन्य लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति हेतु भी वर्ष 2017 तक का लक्ष्य रखने का निदेश दिया गया।

2.5 माननीय मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पंचायत में +2 उच्च विद्यालय खोलने एवं स्वयं सहायता समूह बनाने का निदेश दिया। उन्होंने कॉलेजों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का भी निदेश दिया। प्रत्येक अंगीभूत महाविद्यालयों में बी०एड०, एम०बी०ए० एवं बी०बी०ए० की भी पढ़ाई आरंभ करने का निदेश दिये गये। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल होंगे। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि तकनीकी शिक्षा का एक्शन प्लान (कार्य योजना) तैयार करने हेतु प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए।

2.6 माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन महाविद्यालयों में मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, वहाँ विशेषज्ञ शिक्षक ही रखे जाए, ताकि छात्र अच्छी तरह से प्रशिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सके। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि अन्य राज्यों के मॉडल को अपनाने की जगह स्वयं का मॉडल तैयार किया जाए।

3. **कौशल विषयक समिति** :–

3.1 इस समिति के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा कौशल विषयक समिति से संबंधित सूचकांकों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों पर पॉवर प्वाईन्ट प्रस्तुतीकरण किया गया। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 तक एक करोड़ लोगों का कौशल विकास किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह तथा जीविका कार्यक्रम का सहयोग लिया जा सकता है। जीविका कार्यक्रम सभी जिलों में भी चालू किये जाने की जरूरत है।

3.2 माननीय मुख्यमंत्री ने सभी जिला में एक आई०टी०आई० एवं महिला आई०आई०टी० खोलने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि निजी आई०टी०आई० भी खोले जाने चाहिए किन्तु यह ध्यान रखा जाए कि सभी संस्थान भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो। उन्होंने प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग को Skil Development Mission की कार्ययोजना तैयार करने का निदेश दिया। उन्होंने Skill Upgradation किये जाने की दिशा पर भी जोर दिये जाने की चर्चा की।

3.3 माननीय मुख्यमंत्री ने यह निदेश दिया कि Skill and Unskilled के लिए अलग–अलग ऑकड़ा प्रस्तुत किया जाए। राजमिस्त्री, ए०सी० की मरम्मति, कम्प्यूटर, टी०भी० की मरम्मति, मोबाईल मैकेनिक, प्लम्बर आदि का शॉर्ट कोर्स चलाए जाने का निदेश दिया। यह भी निदेश दिया कि जितने भी विभाग कौशल विकास में शामिल हैं, उन सभी की बैठक श्रम संसाधन विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाए। अगले पाँच वर्षो में कौशल विकास के लक्ष्यों एवं इसके लिए आवश्यक राशि का ऑकड़ा भी प्रस्तुत किया जाए।

4. **कमजोर वर्ग एवं अति निर्धन वर्ग की सुरक्षा विषयक समिति** :–

4.1 इस समिति के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कमजोर वर्ग एवं अति निर्धन वर्ग की सुरक्षा विषयक समिति के प्रमुख सूचकांकों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के बारे में पॉवर प्वाईन्ट प्रस्तुतीकरण किया गया।

4.2 माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएँ तथा स्वयं सहायता समूह बनाए जाए। इससे बिहार में सामाजिक स्तर में अच्छा बदलाव आएगा। स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य, गरीब एवं समाज के वंचित, कमजोर वर्ग के लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है। इसी तरह जीविका कार्यक्रम जो कि अभी सात जिलों में ही चल रहा है, इसे राज्य के अन्य सभी जिलों में भी लागू किये जाने की जरूरत है। कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के विकास के लिए सभी प्रयास किये जाएँ। महादलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के मानव विकास हेतु विशेष प्रयास किये जाए।

4.3 माननीय मुख्यमंत्री ने इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए वर्त्तमान में चलाए जा रहे सर्वशिक्षा अभियान, मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना तथा छात्रवृत्ति योजना का अधिकाधिक लाभ पहुँचाने हेतु भरसक प्रयास करने का निदेश दिया।

5. **कला, संस्कृति एवं क्रीड़ा विषयक समिति** :–

5.1 इस समिति, के अध्यक्ष, सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा अपनी समिति के प्रमुख सूचकांकों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के बारे में पॉवर प्वाईन्ट प्रस्तुतीकरण किया गया।

5.2 सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा समिति की प्रमुख योजनाओं के बारे में बतलाया गया कि बिहार में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की आवश्यकता है। इस समय राष्ट्रीय स्तर के दो स्टेडियम उपलब्ध है। (i) मोईनुल हक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना तथा (ii) पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना जबकि, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के दो स्टेडियम की आवश्यकता है। मोईनुल हक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम में परिवर्तित करने की योजना है। माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम पटना से बाहर बनाने पर भी विचार किया जाए। जिसमें सभी विभाग के खेलों का आयोजन हो सके। इसके साथ ही सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण किया जाए।

5.3 राज्य के प्रत्येक प्रखंड में भी स्टेडियम निर्माण की योजना है। इसी तरह सभी ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान बनाने की योजना है। माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने सुझाव दिया कि स्टेडियम का नाम जमीन दानकर्त्ता के द्वारा सुझाए गए नाम पर रखा जा सकता है। प्रत्येक पंचायत में स्थित विद्यालयों के खेल के मैदान को स्टेडियम में परिवर्तित करने पर विचार किया जाय। प्रतिभावान खिलाड़ियों को कोचिंग की सुविधा, छात्रावास सहित देने हेतु प्रति जिला में स्टेडियम–सह–कोचिंग सेन्टर की सुविधा दक्ष कोच के साथ सभी खेलों के लिए दिये जाने का सुझाव भी दिया गया। इसके अलावा खेल अकादमी, खिलाड़ी कल्याण कोष, प्रतिभागिता अनुदान, खेल सम्मान पुरस्कार, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, खेल उपस्कर, विद्यालय पंचायत एवं उच्च विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन की भी योजना है।

5.4 माननीय मुख्यमंत्री ने कला, संस्कृति एवं क्रीड़ा विषयक समिति के सूचकांकों के लक्ष्यों की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि खेल के साथ कला, संस्कृति, योग, व्यायाम, नैतिकता, शिष्टाचार एवं संस्कार आदि पहलूओं को भी विद्यालय स्तर पर शामिल किया जाए।

6. **सूचना एवं संचार विषयक समिति** :–

6.1 सूचना एवं संचार विषयक समिति के सूचकांकों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को पॉवर प्वाईन्ट प्रस्तुतीकरण में यह बतलाया गया कि प्रत्येक पंचायतों में इन्टरनेट एवं ई–लर्निंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु एक्सेस डिवाईस (Access Device) होना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में ऑप्टिकल फाईबर लगाए जाने की आवश्यकता होगी तथा कम्प्यूटर सिस्टम की जरूरत है, किन्तु यदि "आकाश" नामक टैबलेट (मिनी कम्प्यूटर) की व्यवस्था सभी पंचायतों एवं लोगों के पास होगी तो इससे ई–लर्निंग एवं ई–सुविधा का प्रतिशत काफी बढ़ जाएगा। एक कम्प्यूटर में लगभग

30,000 से 40,000/– का खर्च आता है। जबकि एक टैबलेट (मिनी कम्प्यूटर) में लगभग 2,000–2,500/– का खर्च होगा।

6.2 माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि लाभुकों को सीधे बैंक खाता के माध्यम से लाभ दिया जाना चाहिए, इसके लिए आधार (यू०आई०डी०) नं० को भी जोड़ने पर विचार किया जाए।

7. **जलापूर्ति एवं स्वच्छता विषयक समिति** :–

7.1 पिछली बार दिनांक–06.04.2013 की चौथी बैठक में ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता विषय पर पॉवर प्वाईन्ट प्रेजेन्टेशन दिया गया था। इस बार की बैठक में शहरी जलापूर्ति एवं स्वच्छता विषय पर समिति के सदस्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पॉवर प्वाईन्ट प्रस्तुतीकरण दिया गया। **शहरी जलापूर्ति** योजना के तहत 2016–17 तक सभी घरों में साफ पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि **सभी घरों में शौचालयों** की व्यवस्था हेतु वर्ष 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है।

7.2 इस पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लक्ष्य वर्ष 2017 तक में ही पूरा करने का प्रयास किया जाए।

7.3 माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि नगर विकास एवं आवास विभाग साफ पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था का कार्य अच्छी तरह देखे। सुलभ शौचालय की तर्ज पर शौचालयों की व्यवस्था करने पर विचार किया जाय।

8. **उक्त बैठक में सम्यक विचार विमर्श के क्रम में निम्नांकित निर्णय लिये गये** :–

(i) सभी समितियाँ 5 साल अर्थात् 2012–17 तक का लक्ष्य निर्धारित करें।

(ii) माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित 'राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति' की बैठक तीन **माह पर एक बार बैठक अवश्य आयोजित की जाए।**

(iii) सभी समितियाँ अपने–अपने विषय से संबंधित सूचकांक तैयार कर तथा वित्तीय बजट बनाकर 15 दिनों के अंदर योजना एवं विकास विभाग को सौंपेंगे।

(iv) मिशन मानव विकास को प्रभावी बनाने हेतु एवं मानव विकास की कार्यप्रणाली तैयार करने हेतु योजना एवं विकास विभाग को प्रशासी (नोडल) विभाग बनाया जाय।

(v) योजना एवं विकास विभाग द्वारा दो माह के अन्दर मिशन मानव विकास के लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(vi) तकनीकी शिक्षा का प्लान तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाए।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांक– मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद्–17/2011(खंड)......921 /दिनांक– 10/7, 2013

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद्–17/2011(खंड)......921 /दिनांक– 10/7, 2013

प्रतिलिपि :– उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, शिक्षा के आप्त सचिव/मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मंत्री, समाज कल्याण के आप्त सचिव /मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के आप्त सचिव/मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा के आप्त सचिव/मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी के आप्त सचिव/मंत्री, योजना एवं विकास के आप्त सचिव/मंत्री, श्रम संसाधन के आप्त सचिव/मंत्री, सूचना एवं जन संपर्क के आप्त सचिव/मंत्री, सूचना प्रावैधिकी के आप्त सचिव/मंत्री, पंचायती राज के आप्त सचिव/मंत्री, नगर विकास एवं आवास के आप्त सचिव/मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद्–17/2011(खंड)......921...... /दिनांक– 10/7, 2013

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद्–17/2011(खंड)......921..... /दिनांक– 10/7, 2013

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/योजना एवं विकास विभाग/श्रम संसाधन विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना तथा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव